बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग।
पत्रांक–4/नि०वी०एस०प्र-61-05/2012 (खंड) 1725

प्रेषक,

एस० एम० राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 26 जुलाई 2013

विषयः– अनुसूचित जाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to SCSP) मद से अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSP) मद से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने के संबंध में दिशा–निदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2008–09 से अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कौशल विकास योजना कार्यक्रम का संचालन लगभग नहीं के बराबर किया गया है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया जाता है :–

01. कौशल विकास योजना के लिए जो प्रशिक्षण संस्थान/एजेंसी बिहार महादलित विकास मिशन के तहत् दशरथ मॉझी कौशल विकास योजना के लिए चयनित किया गया है, वही एजेंसी/संस्था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को चलायेंगे।

02. अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देने हेतु आपके स्तर पर अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता मद में उपलब्ध राशि के अनुसार प्रशिक्षणार्थी को चयन करके इस संस्था/एजेंसी को प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र संबंधित एजेंसी को उपलब्ध करायेंगे।

03. अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को इस पत्र के साथ संलग्न किये गये लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाया जाए :–

(i) प्रशिक्षणार्थी अपने आवेदन पत्र को सीधे इच्छुक ट्रेड में प्रशिक्षण देने वाली एजेंसी/संस्थान से सम्पर्क कर उन्हें देंगे। प्रशिक्षण एजेंसी/संस्थान विकास मित्र के द्वारा आवेदन पत्र सत्यापन करायेंगे। विकास मित्र के अनुपस्थित वाले पंचायत/वार्ड में हल्का कर्मचारी/पंचायत सचिव/मुखिया/वार्ड पार्षद सत्यापन करेंगे तथा जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र के मूल प्रति से जाँच कर प्रशिक्षण प्रारम्भ करायेंगे।

(ii) प्रशिक्षण एजेंसी/संस्थान सभी आवेदन पत्रों को उनके अनुलग्नकों के साथ स्कैन (scan) कर ट्रेडवार वार सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी मिशन को भेजेंगे जिसे मिशन द्वारा वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। आवेदन की मूल प्रति एजेंसी/संस्थान से प्राप्त कर कार्यालय में संधारित करेंगे। आवेदन की छायाप्रति एजेंसी/संस्थान द्वारा अपने कार्यालय में भी संधारित करेंगे।

(28)

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के 15 दिनों के अंदर एजेंसी द्वारा संधारित आवेदन पत्र एवं प्रशिक्षणार्थियों की सूची को अपने भ्रमण के क्रम में सत्यापन करेंगे एवं सूची की एक प्रति अपने कार्यालय में संधारित करते हुए सूची को ई–मेल के माध्यम से मिशन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(iv) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि एक प्रशिक्षणार्थी एक बार में एक ही ट्रेड में प्रशिक्षण का लाभ लें।

(v) प्रशिक्षण के क्रम में प्रत्येक 15 दिनों के अन्दर आपके या आपके प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन ई–मेल से मिशन निदेशक को प्रेषित करेंगे।

(vi) इस विषय पर किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर श्री संजय देव (राज्य परियोजना प्रबंधक–एम0आई0एस0) से मोबाईल सं0–9334145729 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(4) इस योजना के तहत कराये गये प्रशिक्षण का सारे आकलन अलग से अनुसूचित जाति उप योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना के अलग फोल्डर में संधारित किया जायेगा।

(5) सभी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जनजाति (SCA to TSP) का विपत्र सीधे जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित करें और जिला कल्याण पदाधिकारी अपने उपलब्ध राशि से विपत्रों के विरूद्ध भुगतान करेंगे।

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत होने वाले प्रशिक्षण का विपत्र अलग से बिहार महादलित विकास मिशन को उपलब्ध करायेंगे, जिसका भुगतान बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा एजेंसी को किया जायेगा।

(6) जिलावार अनुसूचित जनजाति उप योजना (SCA to TSP) के अंतर्गत होने वाले प्रशिक्षण जिला कल्याण पदाधिकारी अपने उपलब्ध राशि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते हुए 15 दिनों के अंदर करेंगे एवं तद्नुसार विभाग को सूचित करेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा–निदेश के आलोक में कार्रवाई किया जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वास भाजन,

ह0/–

(एस0 एम0 राजू)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1725

पटना, दिनांक–26 जुलाई 2013

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (कल्याण)/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

15/7/13